

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर व मुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
सुल्तानसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणाराजपूत बनाम सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणाराजपूत वगै.
सा. लिचाणा तह. नावां सा. लिचाणा तह. नावां

किरम मुकदमा : 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 10 /2023

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुआ
17.01.2023	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव होकर पत्रावली दिनांक 20.02.2023 को पेश हो।</p> <p>20/2/23 पत्रावली पेश हुई। यकील वार अध्यक्ष के द्वारा आज फर्द का त्याग रखा है। पत्रावली दिनांक 16/5/23 को पेश हो।</p> <p>31/5/23 पत्रावली अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजीर/गेर हाजीर। पक्षकारान् वादी/प्रतिवादीगण हाजीर/गेर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 20/7/23 को पेश हो।</p>	<p>(अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>
23/6/23	<p>पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा प्रारूप पत्रावली को तलव कर जरिये विड्योल खारिज करने पेश करने पर पेश हुई अधिवक्ता वादी ने प्रारूप प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुपुत्र प्रकल्प में सुपुत्रकारान् के माध्य राजीनामा हो गया है। इनके सुपुत्र पत्रावली को आज ही तलव कर जरिये विड्योल खारिज किया जाये।</p> <p>अतः अधिवक्ता वादी के निवेदन पर वादी का वाद पत्र जरिये विड्योल खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल सुमार होकर नम्बर से कम हो व शामिल दर्ज हो</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)</p>

